



COURT FEE

प्ररूप 26

INR Rs. 0000100 19.3.2014

Authorization (नियम 85 के अन्तर्गत) 37531
INDIA



No. 04 Date 19.03.14 Time AM/PM
Deponent/Executant
Solely affirmed and declared before me
Who is identified by
Advocate

श्री १.२५५२ सिंह
19.03.14
NOTARY

Sasaram/Rohtas (Bihar)

35 - काराकार संजदीय

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकजमा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

में श्री २५५२ सिंह **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री नारायण सिंह
आयु 70 वर्ष जो ग्राम - बड़डी, डाकघरवाला - बड़डी,
थाना - शिवतागर (बड़डी), जिला - रोहतास

(डाक का पुरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं लागू नही होना (**राजवैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।


(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 207 चैनारी विधानसभा (बिहार राज्य) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 150 के क्रम सं 20 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 08294410436 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)



1.	स्वयं भैंस दयाल सिंह	ATLPS1518F	2001-2002	1,84,030/- रुपए
2.	प्रति या पत्नी लुमिता देवी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

निम्नलिखित मामला (मामलें) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।



(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के नाम ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	लागू नहीं होता

है/हैं	लागू नहीं होता
--------	----------------


(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

शून्य

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है। सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।



अभिधाकी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता

(ग)	अधिरोपित दंड	माफ़ नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष उहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	माफ़ नहीं होता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :


टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।




क्रम सं.	विवरण	स्वयं भंडार/दयाल/दिंड	पति या पत्नी धर्मिणा/द्वारा	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	20,000/- रु.	5,000/- रु.	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	पंजाब में जमा बैंक, शंभुपुर नौर शारवा के अन्तर्गत खाता नं. 3006000/00 119696 में प्रौ. 4,72,000/- (चार लाख) के अन्तर्गत जमा हुए जमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	100 ग्राम स्वर्ण 250 ग्राम चांदी के जवरात 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार के मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि ढावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल मूल्य	4,92,000/-रु.	3,55,000/-रु.	शून्य	शून्य	शून्य


आ. स्वयं आस्तियों के ब्यौरे



1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाता है।
2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं और देभान के	पति या पत्नी पुमित्रा देवी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	मैदान- 6331, कालाशहर, डंडवा, जमौना, खुदिवा- खसम- 46, 171, 163, 80, 80, 43, 147	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	9 एकड़ 85 डिगिमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति	हो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मौज्जा-कड़ड़ी रनाता- 72 खेजरी- 814	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3000 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2700 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता
	विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता	नाश्रु नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10 लाख रुपए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	एक करोड़ पाठ लाख रुपए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



मैं, नीचे लिखे जा रहे हैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-
 विवरण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यारों का विवरण दें।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं अर्जित दायता/अंक	मर्ति या पत्नी धुमिता देवी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वितीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वितीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या कोई अन्य दायित्व विषयवाची है, यदि हां तो अंतर्लिखित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह प्रमाणित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य



(9) प्रति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... खैरानिवात शिक्षक एवं कृषक
 (ख) प्रति या पत्नी..... सुहिणी


- (10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-
- 1) मैट्रिक - उच्च विद्यालय रायपुर-भीर - 1960
 - 2) इंटरमिडिएट - कृ.पी. कॉलेज, वाराणसी - 1962
 - 3) बी.ए. - बी.एन. कॉलेज, पटना - 1964
 - 4) एम.ए. - मगध विश्वविद्यालय - 1971

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुठ शैल देवाम सिंह				
2	डाक का पता	ग्राम-बड़डी, उपखाना-बड़डी, थाना-शिवलापर(बड़डी)				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	35 - काराकाट				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	शून्य				
	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया है या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
(क) अभ्यर्थी	AP LPS 1518 F	2001 - 2002	1,84,030/- रु.			
(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य			
(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य			
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	4,92,000/- रु.	3,55,000/- रु.	शून्य	शून्य	शून्य



ख	स्थावर आस्तियां					
	i. स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	एक करोड़ छठ लाख रूपए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(घ) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) - मद्रास विश्वविद्यालय - 1972				



	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)
--	--

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19/03/2014 को सत्यापित किया गया।

Identify the Signature of the Witness Deponent which has been put in my presence

[Handwritten Signature]


अभिसाक्षी

Shivendra Bahadur Singh

ADVOCATE SASARAM (BIHAR)

19.3.2014

En. no. 1790/03



शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना

शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 082 944 10436

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है..... शून्य

मेरा मोबाइल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... शून्य

